

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 34 सन 2021

अनवान :-

1. भागचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रोहताश पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. दुलीचन्द पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. निकुराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. जीतेश पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. राजकोरी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर
7. तारोदेवी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
8. नारायणी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
9. पार्वती पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
10. शारदा देवी पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
11. पिकी पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
12. निशा पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
13. सतवीर पुत्र केशरदेवी जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
14. सन्दीप पुत्र केशरदेवी जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 107/104 की कुल 13.8470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र पुत्रीयो के वारिसान हे अर्थात् रूपराम पुत्र मेहरचन्द के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात् रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बहने एवं रूपराम की पुत्रिया है तथा प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की माता है प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रिया है तथा प्रतिवादी संख्या 13 ,14 वादी की मृतक बहन केशर के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

20

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है रूपराम पुत्र मेहरचन्द के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है अर्थात रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 जो वादी की बहने /बहने के वारिसान एवं भाई की पत्नी/पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 107/104 की कुल 13.8470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र पुत्रीयो के वारिसान हे अर्थात रूपराम पुत्र मेहरचन्द के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 वादी की बहने एवं रूपराम की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 1,2 की माता है प्रतिवादी संख्या 11,12 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 13,14 वादी की मृतक बहन केशर के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।



पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 107/104 की कुल 13.8470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र पुत्रीयो के वारिसान हे अर्थात रूपराम पुत्र मेहरचन्द के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जो रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 107/104 की कुल 13.8470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है मृतक रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भागचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रोहताश पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. दुलीचन्द पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. निकुराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. जीतेश पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. राजकौरी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
7. तारोदेवी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
8. नारायणी पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
9. पार्वती पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
10. शारदा देवी पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
11. पिकी पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
12. निशा पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
13. सतवीर पुत्र केशरदेवी जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
14. सन्दीप पुत्र केशरदेवी जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 34 सन 2021 निर्णय दिनांक- 04/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना के खाता संख्या 107/104 की कुल 13.8470 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता रूपराम पुत्र मेहरचन्द के नाम से दर्ज है मृतक रूपराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )